

# जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

(26)

समस्त पत्र व्यवहार कुलसचिव जीवाजी  
विश्वविद्यालय के नाम से ही किया जावे व  
कि किसी अन्य पदाधिकारी के नाम से।  
सम्बन्धित विषय पर यदि पूर्व में पत्र  
व्यवहार हुआ हो तो पत्र क्रमांक एवं दिनांक  
अवश्य लिखा जावे जिससे समिता हो।



ग्राम : गूलीवसिटी  
दूरभाष : (0751) 2341896  
(0751) 2442829  
फैक्स : (0751) 2341768

प्रेषक :

कुलसचिव,  
जीवाजी विश्वविद्यालय  
ग्वालियर  
क्रमांक:एफ/सम्बद्धता/2013/ 299

दिनांक: 10/05/13

07532. 255004

// सूचना //

जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर से सम्बद्ध पं० बैठक कॉलेज बामोर मुरैना ( ) को सत्र 2013-14 के लिये  
प्रस्तावित संचालित बी.ए. तृतीय वर्ष - (आ.पा., हिन्दी साहित्य, राजनीतिशास्त्र, समाजशास्त्र), अति.विषय - (इतिहास), बी.  
कॉम तृतीय वर्ष, बी.एस-सी. तृतीय वर्ष - (आ.पा., भौतिकी, गणित, रसायन), अति.विषय - (ग्राहिकी, वनस्पति), बी.सी.ए.  
द्वितीय वर्ष, बी.एस-सी. प्रथम, अति.विषय - (कम्प्यूटर साइंस), बी.कॉम प्रथम कम्प्यूटर एप्लीकेशन पाठ्यक्रम  
कक्षा/पाठ्यक्रमों/विषयों की अस्थायी सम्बद्धता हेतु अनुशंसाएँ प्रदान करने के लिये माननीय कुलपति महोदय/स्थायी समिति,  
जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर ने विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 के परिनियम 27(10) के अवतर्गत निम्नानुसार निरीक्षण  
समिति का गठन किया है :-

1. प्रो. आई.के. पात्रो, आचार्य, व्यूरोसाइंस अ.शा., जी.वि.वि., ग्वा. (संयोजक) (9425110063)
2. प्रो. अन्धु चतुर्वेदी, अचार्य, एम.आई.टी.एस. कॉलेज, ग्वालियर
3. डॉ. पियूषकान्त शर्मा, उपाचार्य, वाणिज्य एवं प्रबंधन अ.शा., जी.वि.वि., ग्वा.
4. प्रो. ओ.पी. बुधौलिया, आचार्य, शा. के.आर.जी. कॉलेज, ग्वालियर

निरीक्षण समिति के सदस्यों से अनुरोध है कि कि वे परिनियम 27/28 के प्रावधानों के अनुरूप महाविद्यालय का प्रत्यक्ष  
निरीक्षण कर शुल्क, धरोहर राशि, वार्षिक शैक्षणिक/अशैक्षणिक स्टॉफ़, प्राधिकृत संस्था से प्राप्त अनुमति/अनापति प्रमाण-पत्र,  
भवन, क्रीड़ा परिसर एवं पाठ्यक्रम/आईडिनेस तथा पिछ्ले सत्र में दी गई शर्तों की पूर्णी मय प्रमाण पत्र के तथा  
प्राचार्य/शैक्षणिक एवं अशैक्षणिक स्टॉफ़ की नियुक्तियों का प्रमाण एवं वेतन आदि के बारे में स्पष्ट विवरण/अनुशंसाएँ अंकित  
करें।

स्थायी समिति की बैठक दिनांक 26 सितम्बर 2012 के पद क्रमांक 60 (अ-अ-2) पर लिये गये निर्णयानुसार  
निरीक्षण द्वाया 30 दिन में महाविद्यालय का निरीक्षण कर 15 दिवस् में विश्वविद्यालय कार्यालय में निरीक्षण  
प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जावे। जिससे कि सम्पूर्ण कार्यवाही (महाविद्यालय निरीक्षण की) 45 दिवस् में पूर्ण हो सकेंगी एवं  
महाविद्यालय को विश्वविद्यालय द्वाया दी जावे वाली अस्थायी सम्बद्धता में विनाश नहीं होगा एवं यथा समय सम्बद्धता  
संबंधी कार्यवाही पूर्ण हो सकेंगी तथा शासन के निर्देशों का पालन सुनिश्चित किया जा सकेगा।

गठन के 45 दिवस् में Report प्राप्त न होने की स्थिति में यह माना जाएगा कि महाविद्यालय का निरीक्षण नहीं हुआ  
है। नियमानुसार अर्धदण्ड जमा कराकर बचीन समिति गठित की जावेगी। जिससे कि निरीक्षण रिपोर्ट प्रस्तुत करना  
अनिवार्य होगा। परिनियम 27(1)(7) के अनुसार सम्बद्धता प्राप्त किए बिना छात्रों को प्रवेश देना अवैधानिक है।

निरीक्षण समिति के साथ सम्बद्धता शास्त्र में कार्यरत अधीक्षक / कार्यालय सहायक पत्रावली लेकर जायेंगे तथा  
महाविद्यालय की वस्तुस्थिति से निरीक्षण समिति को अवगत करायेंगे। निरीक्षण समिति के सदस्यों को ली.ए. / डी.ए. /  
मानदेय महाविद्यालय द्वाया देय होगा।

कुलसचिव

प्रतिलिपि :-

1. समस्त सदस्यों की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
2. प्राचार्य/अध्यक्ष, संबंधित महाविद्यालय की ओर भेजकर आग्रह है कि समिति के संयोजक से संपर्क स्थापित कर निरीक्षण  
दिनांक निर्धारित कर महाविद्यालय का निरीक्षण करायें। उक्त निरीक्षण 15 दिवस के अन्दर कराने की व्यवस्था करें।
3. आयुक्त उच्च शिक्षा, सतपुड़ा भवन, भोपाल
4. कुलपति के सचिव / कुलसचिव के निजी सहायक, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

26